विशेष संवाहक द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ई सी आई/प्रे. नो./24/2015 दिनांक : 16 मार्च, 2015

प्रेस नोट

विषय : **उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 358-रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रिक्ति भरने के लिए उप निर्वाचन की घोषणा को निरस्त करना।**

आयोग ने, उत्तर प्रदेश में 358-रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन सहित, सात उप निर्वाचनों के लिए अनुसूची की अपने प्रेस नोट ई सी आई/पीएन/23/2015, दिनांक 10 मार्च, 2015 के द्वारा घोषणा कर दी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 7608/2015 में पारित अपने आदेश दिनांक 12.03.2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की 358-रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त प्रेस नोट स्थगित कर दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में, आयोग दिनांक 10 मार्च, 2015 के अपने प्रेस नोट सं. ई सी आई/प्रे. नो./23/2015 के द्वारा की गई उत्तर प्रदेश विधान सभा के 358-रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन की अपनी घोषणा को एतद्द्वारा रद्द करता है। तद्नुसार, 358-रसड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से इस समय कोई उप निर्वाचन आयोजित नहीं किया जाएगा।

पूर्वोक्त प्रेस नोट के अनुसार अन्य छह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में उप निर्वाचनों की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक